तैयारी

पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी ने जारी किया आदेश, पॉक्सो प्रकरणों के लंबित समन और वारंट की तामीली भी होगी

महिला अपराधों के निराकरण के लिए दिसंबर में चलेगा विशेष अभियान

भोपाल (नवदुनिया स्टेट ब्यूरो)। मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लिप्त आरोपितों पर पुलिस नकेल कसेगी। एक से 31 दिसंबर तक प्रदेश स्तर पर महिला संबंधी अपराधों के निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान पॉक्सो प्रकरणों के लंबित समन तथा वारंट की तामीली भी सुनिश्चित की जाएगी।

इस आशय का आदेश पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी ने जारी किया है। इसके तहत समस्त जोनल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक से कहा गया है कि इस विशेष अभियान के दौरान पॉक्सो प्रकरणों के समन, वारंट की तामीली, दुष्कर्म, अनैतिक देह व्यापार एवं मानव दुर्व्यवहार के प्रकरणों के निराकरण के साथ फरार आरोपितों की गिरफ्तारी की जाए। इस दौरान निश्चित समयावधि में आरोपितों की धरपकड़ सुनिश्चित की जाएगी। बता दें कि इस अभियान की सार्थकता बनी रहे, इसके लिए निगरानी की व्यवस्था भी की गई है। अभियान के दौरान जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक साप्ताहिक समीक्षा करेंगे। इसमें देखा जाएगा कि किस अधिकारी या कर्मचारी ने किस प्रकार अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अच्छा कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा तो लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। दंडात्मक कार्रवाई की जद में वे अधिकारी और कर्मचारी भी आएंगे, जो प्रकरणों को अकारण लंबित रखेंगे।

महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकना हमारा लक्ष्य : गृहमंत्री

मध्य प्रदेश हमेशा से शांतिप्रिय राज्य रहा है इसलिए हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश में हमारी बहन-माता सम्मान के साथ रह सकें। इस दृष्टि से विशेष अभियान चलाकर ऐसे बदमाशों की धरपकड़ की जाएगी, जो महिला अपराध में लिप्त रहे हैं। कहीं भी महिलाओं की एफआइआर लिखने में विलंब नहीं होना चाहिए। कहीं भी महिला सुरक्षित महसूस करे, ऐसा माहौल बनाया जाएगा। इस अभियान की मैं स्वयं समीक्षा करूंगा। किसी भी तरह की कोताही नहीं होगी।

- डॉ. नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री, मप्र

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में 5,433 दुष्कर्म की घटनाएं हुई थीं।

महिला अपराधों में फरार आरोपितों की भी होगी धरपकड़

बताया जा रहा है कि इस अभियान के दौरान उन लोगों की धरपकड़ तेज होगी, जो महिला अपराधों में लिप्त रहकर लंबे समय से फरार हैं। इनके वारंट तामील कराने की जवाबदेही तय की जाएगी। साथ ही महिलाओं की अधि आनाजाही वाले क्षेत्रों में विशेष नज रखी जाएगी।